प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......307/22...... दिनांक......3/8/2022
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 धारायें :– 7
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें :–
   (3) अधिनियम .... धारायें :–.................................
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........................54.....समय.......................5:15 PM
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– शनिवार, दिनांक 11.06.2022
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक:– 09.06.2022, समय 4.00 पी0एम0
4. सूचना की किस्म :– हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से दक्षिण में, करीब 105 कि.मी. दूर।
   (ब) पता :– रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता
   श्री मसराराम सोलंकी पुत्र श्री वनाराम उम्र 42 वर्ष जाति बागरी निवासी रानीवाडा कलां तहसील व पुलिस थाना रानीवाडा जिला जाला
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   श्री रवि कुमार पुत्र श्री समरताराम मु.पोस्ट रतनपुर तहसील रानीवाडा जिला जालोर पटवारी पटवार मण्डल रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर ।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टयां :–..
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पतिया का कुल मूल्य ....
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,
जालोर।

विषय :–रानीवाडा पटवारी रवि कुमार द्वारा जमीन बंटवाडा मापने के एवज में 18000 रूपये रिश्वत मांगने पर कारवाई करने पर ।

महोदयजी,

निवेदन है कि मुझे प्रार्थी मसराराम सोलंकी पुत्र श्री वनाराम उम्र 42 वर्ष जाति बागरी निवासी रानीवाडा कलां तहसील व पुलिस थाना रानीवाडा जिला जालोर का निवेदन इस प्रकार है कि रानीवाडा कस्बे में हमारी पुश्तेनी जमीन है जिसका बंटवाडा कागजात में हो चुका है मौके पर होना बाकी है जिसका बंटवाडा मौके पर हम सभी भाईयों क बीच करवाने के लिए में दस –पंद्राह दिन पहले रवि कुमार पटवारी से मिला था तो पटवारी रवि कुमार ने मौके पर जमीन बांटने के लिए 18000 रूपये मेरे से मांगे है मैं अपने सही काम के लिए पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं मेरी पटवारी रवि कुमार से कोई आपसी रंजीस नहीं है नहीं मेरा कोई लेन देन पटवारी से बकाया है मै पटवारी रवि कुमार के खिलाफ कानूनी कारवाई करवाना चाहता हूं।

सलंग्नः– 1.स्वप्रमाणित आधार कार्ड फोटो कॉपी ।
2. जमीन से संबधित कागजात की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी।

इति दिनांक 09.06.2022

सी.आई राजेन्द्रसिंह कानूनी कार्यवाही करें
एसडी–/
महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक09.06.2022
एसडी/–
राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस
एसडी/–
हीरालाल 12.06.2022
एसडी/–
संजीव पी परमार 12.06.2022

प्रार्थी

एसडी/–
मसराराम सोलंकी पुत्र श्री वजाराम जाति
बागरी निवासी रानीवाडा कलां
तहसील व पुलिस थाना रानीवाडा
जिला जालोर
मोबाईल नम्बर 7073631815

महोदय,

प्रकरण में हालात इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.2022 को परिवादी श्री मसराराम सोलंकी पुत्र श्री वनाराम उम्र 42 वर्ष जाति बागरी निवासी रानीवाडा कलां तहसील व पुलिस थाना रानीवाडा जिला जालोर ने ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट डॉ. महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि मुझ प्रार्थी मसराराम सोलंकी पुत्र श्री वजाराम उम्र 42 वर्ष जाति बागरी निवासी रानीवाडा कलां तहसील व पुलिस थाना रानीवाडा जिला जालोर का निवेदन इस प्रकार है कि रानीवाडा कस्बे में हमारी पुश्तेनी जमीन है जिसका बंटवाडा कागजात में हो चुका है मौके पर होना बाकी है जिसका बंटवाडा मौके पर हम सभी भाईयों के बीच करवाने के लिए में दस –पंद्राह दिन पहले रवि कुमार पटवारी से मिला था तो पटवारी रवि कुमार ने मौके पर जमीन बांटने के लिए 18000 रूपये मेरे से मांगे है मैं अपने सही काम के लिए पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं मैं उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथा पकडवाना चाहता हूं मेरी पटवारी रवि कुमार से कोई आपसी रंजीस नहीं हैं नहीं मेरा कोई लेन देन पटवारी से बकाया है मै पटवारी रवि कुमार के खिलाफ कानूनी कारवाई करवाना चाहता हूं वगैरा रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में परिवादी ने पुलिस दरियाफ्त पर बताया कि मेरे कस्बा रानीवाडा में स्थित कृषि भूमि मेरे स्वंय एवं परिवार के भाईयों के नाम से सामलाती आयी हुई है उक्त कृषि भूमि में बोरिंग से सिंचाई होती है उपरोक्त सामलाती भूमि हमारे आपसी भाईयों द्वारा बंटवारा करने हेतु श्री रवि कुमार पटवारी से संपर्क किया,पटवारी द्वारा उक्त कागजात तैयार करवाये गये थे और कागजात के साथ हम सभी भाई तहसीलदार साहब के समक्ष उपस्थित होकर कागजात पेश किये थे जिस पर तहसीलदार साहब ने श्री रवि कुमार पटवारी को निर्देश दिए थे। जिस पर हमारी कृषि भूमि के बंटवारे कागजात में हो चुके थे तथा मौके पर सीमांकन कर नेकमबंदी करना बाकी है मैने श्री रवि कुमार पटवारी हल्का रानीवाडा कलां से संपर्क कर मेरे स्वंय के हिस्से की उक्त कृषि भूमि का बंटवारा कर ,सीमाकंन कर मौके पर नेकमबंदी करवाने हेतु बातचीत की गई तो श्री रवि कुमार पटवारी ने 18000 रूपये रिश्वत की मांग की वगैरा रिपोर्ट पर परिवादी श्री मसराराम ने स्वंय के हस्तलिपि में लिखी होना, स्वयं के हस्ताक्षर होना., रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पूछताछ की तथा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)अधिनियम, 2018 का अपराध पाये जाने पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री मसराराम का परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सुपूर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु आदेश/निर्देश प्रदान किए गये। परिवादी श्री मसराराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा परिवादी से विस्तृत पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि उसके ग्राम रानीवाडा कलां में स्थित सामलाती पुश्तैनी कृषि का बंटवारा कर ,सीमाकंन कर स्वंय के हिस्से की भूमि का नेखमबंदी करवाने की एवज में श्री रवि कुमार पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां द्वारा 18000 रूपये रिश्वती राशि की मांग कर रहे है । जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री आदूराम नं0 142 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित परिवादी श्री मसराराम से परस्पर परिचय करवाया गया । तत्पश्चात कार्यालय हाजा के मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्डर मंगवाया जाकर परिवादी को सुपूर्द कर उसे आपरेट करने की समझाईश कर डिजीटल टेप रिकार्डर पुनः प्राप्त किया गया। परिवादी श्री मसराराम को कल दिनांक 10.06.2022 करीब 10 ए.एम. पर रेलवे स्टेशन रानीवाडा के मुख्य गेट पर उपस्थित मिलने हेतु पाबंध किया गया एवं श्री आदूराम कानि. कल दिनांक 10.06.2022 को 10 ए.एम. पर आपसे संपर्क करेगा आदि हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

निवदेन है कि दिनांक 10.06.2022 श्री आदूराम कानि. नं. 142 को कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर रानीवाडा रेलवे स्टेशन पर परिवादी श्री मसराराम से संपर्क कर श्री रवि कुमार पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां से संपर्क कर रिश्वती राशि मांग से संबधित वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर रानीवाडा की तरफ रवाना किया गया।

निवेदन है कि दिनांक 12.06.2022 को श्री आदूराम कानि. नं. 142 मय परिवादी श्री मसराराम कार्यालय हाजा पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये । श्री आदूराम कानि. ने कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में प्रस्तुत कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 10.06.2022 को भ्रनिब्यूरो जालोर से रवाना होकर रानीवाडा रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर पहुंचा जहां परिवादी श्री मसराराम उपस्थित मिला परिवादी ने गोपनीय मालूमात की तो श्री रवि कुमार पटवारी अपने पटवार भवन में उपस्थित होना बताया। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपूर्द कर एसओ श्री रवि कुमार पटवारी से संपर्क करने हेतु पटवार भवन रानीवाडा के लिए रिश्वती राशि मांग से संबधित वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु रवाना किया गया तथा स्वयं अपनी पहचान छुपाते हुए पटवार भवन के ईर्द गिर्द परिवादी के आने के इंतजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मसराराम पटवारी भवन रानीवाडा से रवाना होकर मेरे पास आया तथा डिजीटल टेप रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसे मैने स्वीच ऑफ कर मैनें अपने कब्जे लिया । परिवादी श्री मसराराम ने बताया कि पटवार भवन रानीवाडा में पंहुचा तो वहां श्री रवि कुमार पटवारी उपस्थित मिले जिनसे मैनें मेरे सामलाती कृषि भूमि का बंटवारा कर सीमाकंन कर स्वयं के हिस्से की नेकमबंदी करवाने से संबधित वार्ता की तो श्री रवि कुमार पटवारी ने बताया कि कृषि भूमि का सीमाकंन कर बातचीत करेंगें तथा श्री रवि कुमार पटवारी कल दिनांक 11.06.2022 को हमारे कृषि कुंए पर आना बताया । जिस पर मन् कानि तथा परिवादी श्री मसराराम के ग्राम रानीवाडा से रवाना होकर परिवादी के रानीवाडा में स्थित कृषि कुंए पंहुचे रात्रि मुकीम रहा। दिनांक 11.06.2022 को बाद इंतजार उपरांत परिवादी मसराराम के कृषि कुंए पर चार व्यक्ति आयें। जिनके बारे में परिवादी को को पूछने पर बताया कि इनमें से एक श्री रवि कुमार पटवारी तथा एक श्री बीआर राणा आर.आई साहब एवं दो अन्य व्यक्ति पटवारी है जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं। एसओ श्री रवि कुमार पटवारी, बीआर राणा आरआई एवं अन्य पटवारीगण एवं परिवादी स्वयं एवं उनके सगे भाई तथा पारिवारिक भाई की उपस्थिति में कृषि भूमि खसरा नंबर 2978/974 का मौके पर सीमाकंन कर बंटवारा किया तथा नेकमबंदी की कार्यवाही की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री मसराराम को गोपनीय तरीके से डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर एसओ श्री रवि कुमार पटवारी से सपंर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवायी गई। परिवादी श्री मसराराम बाद रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर मन् कानि. के पास आकर डिजीटल टेप रिकार्डर सुपूर्द किया जिसे स्वीच आफॅ कर मन् कानि. ने स्वंय के कब्जे लिया। परिवादी ने बताया कि श्री रवि कुमार पटवारी ने उपरोक्त कार्यो की एवज में 18000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर एक हजार रूपये कम देने का तय हुआ , 15000 रूपये सीमाकंन कर नेकमबंदी करने के तथा 3000 रूपये पूर्व में किए गये कागजात के बंटवारे के एवज में मांग की । मेरे द्वारा पुनः हाथा जोडी करने पर श्री रवि कुमार पटवारी ने 12000 रूपये सीमाकंन कर नेकमबंदी करने के तथा 3000 रूपये पूर्व में किए गये कागजात के बंटवारे के एवज में कुल 15000 रूपये रिश्वत की मांग तय की गई। परिवादी श्री मसराराम ने बताया कि श्री रवि कुमार पटवारी ने 15000 रूपये किस जगह और कब देने है तय नहीं हुआ था, जिस पर परिवादी को पुनः डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपूर्द कर एसओ श्री रवि कुमार पटवारी से वार्ता करवायी गई। कुछ समय बाद परिवादी श्री मसराराम ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् कानि. को सुपूर्द किया जिसे स्वीच आफॅ कर अपने कब्जे लिया। परिवादी ने बताया कि श्री रवि कुमार पटवारी ने 15000 रूपये इसी समय लाने का कहा,जिस पर परिवादी श्री मसराराम ने आपसी भाईयों से वार्ता कर कल दिनांक 12.06.2022 या सोमवार को यानि 13.06.2022 देने हेतु कहा जिस पर श्री रवि कुमार पटवारी सहमत हुआ। दिनांक 11.06.2022 को रात्रि मुकीम रानीवाडा परिवादी श्री मसराराम के कृषि कुंए पर रहा। दिनांक 12.06.2022 को मन् कानि. मय डिजीटल टेप रिकार्डर एवं परिवादी श्री मसराराम के रानीवाडा से रवाना होकर कार्यालय हाजा उपस्थित आये । जिस पर उपस्थित परिवादी श्री मसराराम ने श्री आदूराम कानि. नं. 142 के कथनों की ताईद की। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप

रिकार्डर ऑन कर रिकार्ड वार्ताओं को सुना गया तो श्री आदूराम कानि. तथा परिवादी श्री मसराराम के कथनों की ताईद होते हुए, रिश्वती राशि 15000 रूपये मांग की पुष्टि हुई। उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वंय के कब्जे लिया । पूछने पर परिवादी श्री मसराराम ने रिश्वत में दी जाने राशि 15000 रूपये साथ में लाना बताया । परिवादी श्री मसराराम को रात्रि मुकीम कार्यालय हाजा में रहने में देने की हिदायत दी गई।ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से आयुक्त नगर परिषद जालोर के नाम तहरीर देकर कार्यालय हाजा के श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93 को रवाना किया गया। श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93 दोनों स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आये । दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस का परिचय देकर उनका परिचय प्राप्त किया गया तो उन्होनें अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री संजीव पी परमार पुत्र श्री पुनमाराम परमार उम्र 29 वर्ष जाति मेघवाल निवासी न्यू रामदेव कॉलोनी ,जालोर पुलिस थाना कोतवाली जालोर तहसील व जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक ,नगर परिषद जालोर जिला जालोर। मोबाईल नं0 8529078152 व श्री हीरालाल पुत्र बाबूलाल उम्र 49 वर्ष, जाति वाल्मीकी निवासी 133, हरिजन बस्ती जालोर पुलिस थाना कोतवाली जालोर तहसील व जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक , नगर परिषद जालोर जिला जालोर। मोबाईल नं0 9785578707 होना बताया । दोनो गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी मसराराम का दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया तथा कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर ट्रेप कार्यवाही से संबधित रिकार्डिंग वार्ताओं के मुख्य अंश को सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो एवं डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बननें की सहमति प्रदान की। परिवादी श्री मसराराम एवं आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर के मध्य दिनांक 10.06.2022 को रूबरू हुई मांग सत्यापन से पूर्व वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एंव दोंनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन–सुन कर एवं समझकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व वार्तालाप मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी के स्वंय एवं आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव को डव मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों पैन ड्राईव को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखा गया। परिवादी श्री मसराराम एवं आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर के मध्य दिनांक 11.06.2022 को रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एंव दोंनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन–सुन कर एवं समझकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी के स्वंय एवं आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव को डव मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों पैन ड्राईव को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखा गया। परिवादी श्री मसराराम एवं आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर के मध्य दिनांक 11.06.2022 को रूबरू हुई मांग सत्यापन के पश्चात वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एंव

दोंनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन–सुन कर एवं समझकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी के स्वंय एवं आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव .को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों पैन ड्राईव को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखा गया। गवाहान सर्वश्री हीरालाल एवं श्री संजीव पी परमार को प्रकरण में गोपनीयता की हिदायत दी जाकर कल दिनांक 13.06.2022 प्रातः 6.00 ए.एम.पर ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूखसत किया गया एवं समस्त ब्यूरो जाब्ता को भी कल दिनांक 13.06.2022 को प्रातः 6 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। परिवादी श्री मसराराम को कार्यालय हाजा पर रात्रि मुकिम रहने की हिदायत की गई।

निवेदन है कि दिनांक 13.06.2022 को पूर्व पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान सर्वश्री हीरालाल एवं श्री संजीव पी परमार एवं ब्यूरो जाब्ता कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये । स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री मसराराम सोलंकी पुत्र श्री वजाराम उम्र 42 वर्ष जाति बागरी निवासी रानीवाडा कलां तहसील व पुलिस थाना रानीवाडा जिला जालोर से आरोपी श्री रविकुमार पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000(पंद्राह हजार) रू0 प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री मसराराम ने आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500–500 रू. के 30 नोट, कुल राशि 15,000(पंद्राह हजार) रू0 मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक को रूबरू गवाहान पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर को फर्द पेशकशी पर अंकित करवाये गये। मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 नं0 96 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मसराराम की जामा तलाशी गवाह श्री हीरालाल कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 15,000 (पंद्राह हजार) रूपयें के नोट श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 से ही परिवादी के पहने हुये शर्ट के बांयी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब मे रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में श्री रवि कुमार पटवारी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। श्री रवि कुमार पटवारी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखते है अथवा कहॉ छुपाते हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई श्री रवि कुमार पटवारी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने

अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुननें का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 को ट्रेप कार्यवाही से आरोपी के हाथ धोवन कार्यवाही होने तक ट्रेप कार्यवाही से पृथक रखने का निर्णय लिया गया। फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर हाजा मुर्तिब की गई। हाजरीन को पढ़कर सुनाई गई। सुन, समझ, सही मान समस्त ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान डॉ.महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,स्वतंत्र गवाहान श्री हीरालाल एवं श्री संजीव पी परमार , परिवादी श्री मसराराम, ब्यूरो जाव्ता सर्वश्री सुखाराम हैड कानि. 96, श्री मोहनलाल हैड कानि. 93 , श्री आदूराम कानि. नं. 142 ,श्री कालूराम कानि. नं. 477 ,श्री गुलाबसिंह कानि. 140 ,श्री गोपाल कुमार कानि. नं. 537 ,श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 तथा श्री जयराम कानि. नं.83 तथा श्री रणवीर मनावत कानि.ड्राईवर नं. 613 के मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप,प्रिंटर ,डिजीटल टेप रिकार्डर एवं आवश्यक सामग्री इत्यादि के जरिए सरकारी वाहन बोलेरो एवं निजी वाहनों के ट्रेप कार्यवाही हेतु रानीवाडा की तरफ रवाना हुए । स्टॉफ की कमी होने से कार्यालय हाजा की तालाबंदी की जाकर चाबी श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 को सुपूर्द की गई। जालोर से रवाना शुदा मन् राजेन्द्रसिंह मय हमराहयान के सरकारी एवं निजी वाहनों के कस्बा रानीवाडा में रेल्वे स्टेशन के पर्किंग स्थल पर पहुंचे। परिवादी श्री मसराराम ने बताया कि मामला हमारे आपसी भाईयों का है मैं मेरे सगे भाई श्री बाबूलाल को साथ लेकर श्री रवि कुमार पटवारी से रिश्वती राशि लेनदेन हेतु जाना चाहता हूं जिस पर परिवादी श्री मसराराम को अपने भाई श्री बाबूलाल को बुलाकर लाने हेतु रवाना किया गया तथा हिदायत दी गई की शीघ्र इसी स्थान पर उपस्थित आवें। कुछ समय बाद परिवादी श्री मसराराम एवं एक अन्य व्यक्ति उपस्थित आये ,परिवादी ने अपने पास खडे व्यक्ति का परिचय अपने सगे भाई बाबूलाल होना बताया एवं परिवादी श्री मसराराम ने बताया कि मैनें अपने स्तर पर मालूमात किया तो आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी पटवार भवन रानीवाडा में उपस्थित है । जिस पर परिवादी श्री मसराराम एवं श्री बाबूलाल को आवश्यक हिदायत दी कि अगर आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी पटवार भवन में उपस्थित नहीं हो तो रेलवे स्टेशन रानीवाडा पार्किंग स्थान पर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होवें।परिवादी श्री मसराराम को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपूर्द कर मय श्री बाबूलाल के आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी से संपर्क कर रिश्वती राशि लेनदेन हेतु पटवार भवन रानीवाडा की तरफ रवाना किया गया परिवादी के पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान के रवाना होकर पटवार भवन रानीवाडा के ईर्द गिर्द पहुंचे एवं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए , परिवादी श्री मसराराम के गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त हुए। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मसराराम बिना गोपनीय ईशारे किये मय श्री बाबूलाल पटवार भवन रानीवाडा के मुख्य गेट से बाहर आकर रेलवे स्टेशन रानीवाडा की तरफ रवाना हुए जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान परिवादी के पीछे पीछे रेल्वे स्टेशन रानीवाडा पार्किंग स्थल पर पहुंचा ,परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आर्फ कर अपने कब्जे लिया । परिवादी श्री मसराराम ने बताया कि आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी पटवार भवन में उपस्थित मिला । आरोपी रवि कुमार पटवारी ने मुझे मेरे कृषि भूमि से संबधित लगान की दो रसीदे क्रमशः 1. पुस्तक संख्या 032314 रसीद संख्या 000047 दिनांक 15.03.2022 की श्री भूराराम नाम से 2. पुस्तक संख्या 032314 रसीद संख्या 000036 की श्री मोहनलाल नाम दी ,श्री भूराराम मेरे ताउजी के लडका है एवं श्री मोहनलाल मेरा सगा भाई है तथा बताया कि श्री रवि कुमार पटवारी ने किसी कृषि भूमि का मौका देखने/तहसील कार्यालय जा रहा हूं बाद में मिलने का कहकर पटवार भवन से रवाना हो गये। श्री रवि कुमार पटवारी द्वारा रिश्वती राशि नहीं मांगने पर मैनें उन्हें रिश्वती राशि नहीं दी है श्री रवि कुमार पटवारी के पटवार भवन रानीवाडा में पुनः उपस्थित आने पर रिश्वत राशि लेनदेन हेतु संपर्क करूंगा। तत्पश्चात मैं पटवार भवन रानीवाडा से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन रानीवाडा आपके समक्ष उपस्थित आया। चूंकि रिश्वती राशि का लेनदेन नहीं हुआ है तथा श्री रवि कुमार पटवारी ने परिवादी को किसी कृषि भूमि का मौका देखने/तहसील कार्यालय जा रहा हूं बाद में मिलने का कहकर श्री रवि कुमार पटवारी पटवार भवन से रवाना हो गये है कुछ समय पश्चात पुनः परिवादी मसराराम को भेजकर आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी के संपर्क करवाने का निर्णय लिया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान के सरकारी एवं निजी वाहनों के कस्बा रानीवाडा से रवाना होकर भीनमाल रोड की तरफ लहरीया होटल पर पहुंचे, परिवादी श्री

मसराराम के पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15000 रूपये को श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर 613 से निकलवायी जाकर राशि को एक लिफाफे में डलवायी जाकर श्री सुखाराम हैड कानिस्टेबल नंबर 96 को सुपर्द कर हिदायत की गई कि भ्रनिब्यूरो जालोर के मालखाना में सुरक्षा की दृष्टि से रखी जावें । श्री रणवीर मनावत कानि.ड्राईवर के दोनों हाथों को साफ पानी व साबुन से तीन बार धुलवाये गये। दिनांक 13.06.2022 को परिवादी श्री मसराराम एवं श्री रवि कुमार पटवारी के मध्य रूबरू लेनदेन पूर्व डिजीटल टेप रिकार्डर में रिर्काड वार्तालाप को सुना गया तो परिवादी एवं आरोपी के मध्य वार्ता रिकार्ड होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा मुर्तिब किये जाने का निर्णय लिया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मसराराम से अपने स्तर पर आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी के पटवार भवन रानीवाडा अथवा तहसील कार्यालय रानीवाडा मे उपस्थिति बाबत जानकारी प्राप्त की तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी उक्त दोनों स्थानों पर उपस्थित नहीं होना ज्ञात हुआ। जिस पर परिवादी श्री मसराराम के मोबाईल नंबर 7073631815 से आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी के मोबाईल नंबर 9887782147 पर संपर्क करवाया गया तो आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी को मोबाईल नंबर स्वीच ऑफ होना पाया गया। कुछ समय बाद परिवादी के मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल पर पुनः संपर्क किया गया तो आरोपी का मोबाईल स्वीच आर्फ होना पाया गया । संभवतया आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी को ब्यूरो की कार्यवाही की भनक लगने से मोबाईल स्वीच ऑफ किया गया हो। गोपनीयता की दृष्टि से ट्रेप कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लिया गया।मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान डॉ.महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , स्वतंत्र गवाहान श्री हीरालाल एवं श्री संजीव पी परमार , परिवादी श्री मसराराम एवं श्री बाबूलाल, ब्यूरो जाब्ता सर्वश्री सुखाराम हैड कानि. 96, श्री मोहनलाल हैड कानि. 93 , श्री आदूराम कानि. नं. 142 ,श्री कालूराम कानि. नं. 477 ,श्री गुलाबसिंह कानि. 140 ,श्री गोपाल कुमार कानि. नं. 537 ,श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 तथा श्री जयराम कानि. नं.83 तथा श्री रणवीर मनावत कानि.ड्राईवर नं. 613 के मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप,प्रिंटर ,डिजीटल टेप रिकार्डर एवं आवश्यक सामग्री इत्यादि के जरिए सरकारी वाहन बोलेरो एवं निजी वाहनों के लहरीया होटल से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जालोर पहुंचा।श्री मसराराम, परिवादी के भाई बाबूलाल एवं आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर के मध्य दिनांक 13.06.2022 को रूबरू हुई लेनदेन पूर्व वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी।उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एंव दोंनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन–सुन कर एवं समझकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्तालाप मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी के स्वंय एवं आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों पैन ड्राईव को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखा गया।परिवादी श्री मसराराम तथा श्री बाबूलाल को आवश्यक हिदायत दी गई कि जब भी आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी से संपर्क होते ही शीघ्र ही मन् निरीक्षक पुलिस को हालात बतावे तथा प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर के अपने निवास स्थान पर जाने हेतु रूखसत किया गया। स्वतंत्र गवाहान सर्वश्री हीरालाल एवं श्री संजीव पी परमार को भी प्रकरण में गोपनीयता बरतने तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तलब करने पर शीघ्र ही ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आने हेतु हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।उक्त प्रकरण हाजा में वजह सबूत मालखाना आईटम क्रमशः परिवादी श्री मसराराम एवं आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 10.06.2022 को रूबरू हुई मांग सत्यापन से पूर्व वार्ता की एक मूल पैन ड्राईव शिल्डशुदा एवं एक पैन ड्राईव खुली हालात में, परिवादी श्री मसराराम एवं आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 11.06.2022 को रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता की एक मूल पैन ड्राईव शिल्डशुदा एवं एक पैन ड्राईव खुली हालात में, परिवादी श्री मसराराम एवं आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 11.06.2022 को रूबरू हुई मांग सत्यापन के पश्चात वार्ता की एक मूल पैन ड्राईव शिल्डशुदा एवं एक पैन ड्राईव खुली हालात में, परिवादी श्री मसराराम एवं आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 13.06.2022 को लेनदेन पूर्व वार्ता की एक मूल पैन ड्राईव शिल्डशुदा एवं एक पैन ड्राईव खुली हालात में

मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवायी गई। ब्यूरो जाब्ता को भी प्रकरण की गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई।

निवेदन है कि दिनांक 18.06.2022 को परिवादी श्री मसराराम ब्यूरो कार्यालय जालोर में मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया एवं बताया कि दिनांक 13.06.2022 के पश्चात कई बार मैने श्री रवि कुमार पटवारी से सम्पर्क करने की कोशिश की परन्तु उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। पटवार भवन रानीवाडा गया तो पटवार भवन बंद मिला । पटवार घर से आते वक्त मैनें श्री रवि कुमार पटवारी के परिचित जो पटवार भवन में उनके पास बैठा रहता है उसने बताया है कि वो महीना भर की छुटटी पर गये है। मैनें श्री रवि कुमार पटवारी के किसी अन्य परिचित से संपर्क किया तो उन्होनें बताया हैं आपने श्री रवि कुमार पटवारी की शिकायत की है आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करवाना चाहते हो। इसी कारण श्री रवि कुमार पटवारी मेरे से संपर्क करने में आनाकानी कर रहे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एसीबी की कार्यवाही की श्री रवि कुमार पटवारी को भनक लग गई है अब वह मेरे से रिश्वती राशि ग्रहण नहीं करेगे। परिवादी के बताऐ गये कथनों से उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं होने से मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री मोहनलाल हैड कानि. नं0 93 से लिफाफे में बन्द रिश्वती राशि 15,000 रूपये को मालखाना से निकालकर नोटो पर लगे फिनोपथलीन पाउडर को तसल्ली से साफ कर परिवादी श्री मसराराम को सुपूर्द कर पृथक से प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई एवं, मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त ट्रेप कार्यवाही में अब अग्रिम सफलता नहीं मिलने से परिवादी श्री मसराराम को रुखस्त दी गई ।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रवि कुमार पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर द्वारा लोक सेवक होते हुए पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मसराराम के स्वंय के हिस्से की कृषि भूमि का बंटवारा कर ,सीमाकंन कर मौके पर नेकमबंदी करवाने की एवज में दौराने मांग सत्यापन दिनांक 11.06.2022 को 15,000 रूपये की मांग करना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का अपराध करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री रवि कुमार पुत्र श्री समरताराम मु.पो. रतनपुर तहसील रानीवाडा जिला जालोर पटवारी पटवार मण्डल रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर द्वारा अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(राजेन्द्रसिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रवि कुमार, पटवारी, पटवार मण्डल रानीवाडा कलां, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 307/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः 2687-91 दिनांक 03.08.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जालोर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

3.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।